-: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :-

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :- 129/2022

उनवान

1. रामराज चौधरी पुत्र उमराम चौधरी जाति जाट निवास ग्राम देराठू, नसीराबाद (तर्क)
2. सुखपाल पुत्र श्रवण
3. हंसराज पुत्र श्रवण समस्त जाति जाट निवासी ग्राम नान्दला, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :- जरियें अधिवकता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. प्रेमप्रकाश पुत्र नाथू सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम सुतरखाना, नसीराबाद

1/1. इन्द्रा पत्नी प्रेमप्रकाश
1/2. भरत पुत्र प्रेमप्रकाश
1/3. नुतन पुत्री प्रेमप्रकाश
1/4. कल्पना पुत्री प्रेमप्रकाश समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम सुत्तरखाना मौहल्ला, नसीराबाद

2. नन्दकिशोर पुत्र शिवरतन जाति अग्रवाल निवासी महावीर कॉलोनी मदनगंज किशनगढ अजमेर,
3. भंवर लाल पुत्र जीवण जाति जाट निवासी नान्दला तहसील नसीराबाद, राजस्थान
4. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——— अप्रार्थीगण :- 1 जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव,
2 जरियें अधिवक्ता श्री अभिषेक शर्मा,
3 जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी,
4 जरियें राज. पैरोकार

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

-: आदेश :- दिनांक :- 16.9.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 524 रकबा 0.57 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। उक्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा के लिये दिनांक 16.11.22 को मौखिक सीमांकन करवाया तो पडौसी खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने दखलदांजी करते हुये नियमानुसार पत्थरगढर कराने की बात कही। उक्त आराजी पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के मध्य अनावश्यक विवाद है। आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा बिना किसी हक व अधि[illegible]दखलदांजी की जा रही है। आराजी मुतनाजा की सीमा की वास्तविक [illegible] पत्थरगढी हेतु उक्त आवेदन पत्र पेश किया जा रहा है। [illegible] करने की कृपा करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:38:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब पेश नही किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि जवाबकर्ता द्वारा प्रार्थी की भूमि पर किसी प्रकार की दखलदांजी नही की जा रही है। प्रार्थी द्वारा मौखिक रूप से भूमि कर सीमांकन कभी भी नही करवाया गया है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 2 की आराजी पर कब्जा करना चाहता है। जवाबकर्ता ने अपनी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 525 के चारों ओर तारबंदी करवा ली है। अतः प्रार्थी की भूमि पर दखलदांजी करने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। अतः आवेदन पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

प्रकरण विचारण के दौरान प्रार्थी द्वारा आराजी मुतनाजा का बैचान किये जाने के कारण केतागण को प्रकरण में प्रार्थी के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। प्रकरण विचारण के दौरान प्रार्थी द्वारा आराजी मुतनाजा का बैचान प्रार्थी संख्या 2 व 3 को किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य सीमा का विवाद है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने जवाब में कथन किया है कि उसके द्वारा अपनी खातेदारी आराजी पर तारबंदी कर ली है। अप्रार्थीगण का कथन है कि आराजी मुतनाजा पर सिविल न्यायालय द्वारा मौके व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया है। हाल जमाबंदी में उक्त स्थगन का नोट अंकित है। आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी होने से भूमि के मौका स्थिति में परिवर्तन की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। प्रकरण में पत्थरगढी के आदेश पारित कर सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है। सिविल न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के प्रभावी होने तक प्रार्थी पत्थरगढी करवाने का अधिकारी नही है।

उक्तानुसार ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 524 रकबा 0.57 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। प्रार्थी उक्त स्थगन आदेश के निस्तारण के बाद नवीन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड
अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:38:36 IST
Reason: SelfAttested